

F.NRC/NCTE/F-3/UP-2358/ 23766
Code : **APN03811**

Date: 8 AUG 2007

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

WHEREAS in terms of Section 14 (1) of the NCTE Act, 1993 **SANJIVNIE COLLEGE OF EDUCATION KIRTANPUR, P.O. TENDWA, BASANTPUR, DISTT.-BAHRAICH BAHRAICH-271801, UTTAR PRADESH** had submitted an application (Code No. APN03811) to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition / permission for starting **B.ED** Course of 1 year duration with an annual intake of **100 students**.

2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the Affidavit and the inputs received from the Visiting Team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution / society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc for running the programme and has selected / appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.
3. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to **SANJIVNIE COLLEGE OF EDUCATION KIRTANPUR, P.O. TENDWA, BASANTPUR, DISTT.-BAHRAICH BAHRAICH-271801, UTTAR PRADESH** for conducting **B.ED** course of 1 year duration with an annual intake of **100** students under clause 7 (12) of NCTE Regulation dated 13th Jan 06 subject to fulfillment of the following:
 - (i). The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account to be operated along with an official of the Regional Committee.
 - (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE Regulations, as amended from time to time.
4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc, wherever applicable.



डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/1042

दिनांक : 03-05-2018

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 03-05-2018 के अनुपालन में संजीवनी महाविद्यालय, कीर्तनपुर बहराइच को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम 01 यूनिट (50 सीट) को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु मानक पूर्ण न होने के कारण निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता विस्तरण प्रदान किया जाता है।

1. महाविद्यालय द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित शर्तें पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
2. संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक हो तथा महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन अनुमोदित हो।
3. विश्वविद्यालय की गत वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न हो।
4. मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों को महाविद्यालय द्वारा नियमित रूप से बैंक के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों के बैंक खातों में वेतन भुगतान किया जा रहा हो।
5. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. शैक्षिक सत्र 2017-18 में संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

तत्क्रम में महाविद्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश/कक्षा संचालन के पूर्व उपर्युक्त बिन्दु 1 से 4 पर उल्लिखित मानकों/शर्तों के अनुपालन हेतु एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा 31 अगस्त के पूर्व समस्त सुसंगत प्रपत्र/प्रमाण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में शैक्षिक सत्र 2019-20 में प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा न करायें जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

डॉ० (विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, संजीवनी महाविद्यालय, कीर्तनपुर बहराइच।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

कुलसचिव

F.NRC/NCTE/F-3/UP-2247/ 25114
Code : **APN03299**

Date: 19 AUG 2007

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

WHEREAS in terms of Section 14 (1) of the NCTE Act, 1993 **SANJIVNIE COLLEGE OF EDUCATION & PHYSICAL EDUCATION KIRTANPUR, PO - TENDWA BASANTPUR, BAHRAICH,-271801 , UTTAR PRADESH** had submitted an application (Code No. APN03299) to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition / permission for starting **B.P.ED.** Course of 1 year duration with an annual intake of **50 students.**

2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the Affidavit and the inputs received from the Visiting Team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution / society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc for running the programme and has selected / appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to **SANJIVNIE COLLEGE OF EDUCATION & PHYSICAL EDUCATION KIRTANPUR, PO - TENDWA BASANTPUR, BAHRAICH,-271801 , UTTAR PRADESH** for conducting **B.P.ED.** course of 1 year duration with an annual intake of **50 students** under clause 7 (12) of NCTE Regulation dated 13th Jan 06 subject to fulfillment of the following:

- (i). The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account to be operated along with an official of the Regional Committee.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE Regulations, as amended from time to time.

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc, wherever applicable.


F. No. NRC/NCTE/ NRCAPP-1783/Emergent Meeting/2013/63341

Dated:

24 OCT 2013

Corrigendum

In compliance of the order dated 22.08.2013 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the writ petition (C) No.524/2013 and as per decision taken by NRC in this regard in its Emergent Meeting held on September, 14, 2013, the word i.e." **from the academic session 2014-15**" mentioned in para-3 of the recognition order No. NRC/NCTE/NRCAPP-1783/213thMeeting/2013/41728-734 dated 15.04.2013 issued **Sanjivani College of Education and Teachers Training, Plot/Khasra No.- 190MI, Street/Road- 0, Village- Aladadpur, Post Office- Tendwa Basantapur, Tehsil/Taluka- Kaiserganj, Town/City- Bahraich, District- Bahraich, Pin Code- 271801, State- Uttar Pradesh** for recognition of D.El.Ed. Course by NRC be read as **"from the academic Session 2013-14."**


(Dr. Ram Kishor)
Regional Director

The Manger to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to:

1. The Secretary/Correspondent, Sanjivni Foundation, Plot Number- 3/314, Street/Road- 0, Village/Town/City- Vivek Khand, Post Office- Gomti Nagar, Tehsil/Taluka- Lucknow, Town/City- Lucknow, District- Lucknow, Pin Code- 226010, State- Uttar Pradesh.
2. The Principal, Sanjivani College of Education and Teachers Training, Plot/Khasra No.- 190MI, Street/Road- 0, Village- Aladadpur, Post Office- Tendwa Basantapur, Tehsil/Taluka- Kaiserganj, Town/City- Bahraich, District- Bahraich, Pin Code- 271801, State- Uttar Pradesh.
3. The Secretary, Government of Uttar Pradesh, Basic Education Department, Room No. 15, Second Floor, Civil Secretariat, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, Uttar Pradesh
4. The Director, SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
5. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001,
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002,
7. Office Order file/Institution file.


Regional Director

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक : 21 जनवरी, 2014

विषय- निजी संस्थान संजीवनी कालेज आफ एजुकेशन एण्ड टीचर्स ट्रेनिंग, प्लाट/खसरा नं० 190 एमआई, अलादादपुर, कैसरगंज, बहराइच को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान संजीवनी कालेज आफ एजुकेशन एण्ड टीचर्स ट्रेनिंग, प्लाट/खसरा नं० 190 एमआई, अलादादपुर, कैसरगंज, बहराइच को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 173 (1) / 15-11-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कादेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, संजीवनी कालेज आफ एजुकेशन एण्ड टीचर्स ट्रेनिंग, प्लाट/खसरा नं० 190 एमआई, अलादादपुर, कैसरगंज, बहराइच।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)



Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

CONFIDENTIAL/SPEED POST/FAX

F.NRC/NRC/NCTE/NRCAPP- 5152, 5298, 4952, 5493, 5590, 5611, 5507, 4792, 5259 & 4605 /2013-14/

Date: 25 FEB 2014

To: Dr. Shivraj Kumar,
H.no.- 7, Shri Ram Nagar Colony,
Badaun- 243601, UP.
Mob.- 09412657815

Dr. Giresh Kumar Dwevedi,
Open University Shantipuram, Rajarshi Tandan,
Sect.- F, Phapha, Mau, Allahabad- 211013, UP.
Mob.- 09455413751

Sub.: Visit to Teacher Training Institutions for recognition of teacher education programmes under Section 14/15 of the NCTE Act, 1993 and the NCTE Regulations, 2009.

Sir/Madam,

This is to inform you that as per the decision of Northern Regional Committee, the inspection of the following institutions is to be conducted under Section 14/15 of the NCTE Act, 1993 and the NCTE Regulations, 2009. The details are as under:-

Copy for information and further necessary action with regard to inspection of the institution:-

S. No.	Name & address of the Institution
1	Gautam Buddh Mahavidyalaya, Plot No - 427, Village - Dadhadhi, Post Office - Thawaipar, Tehsil - Taluka - (ampierganj), Dist. - Gorkakhpur, UP- 273165. Mob - 9839226066
2	Rajeshwari Devi Mahia Mahavidyalaya, Plot No - 303, 304, 307, 299, 284, 286, Village - Maniram, Tehsil - Sadar, Dist. - Gorakhpur, UP - 2730007. Mob - 09818363668
3	Narpati Singh Mahavidyalaya, Plot No - 203, 231, 196, 197, 199, 200, 201, Village - Ujrauti Kola, Post Office - Pachpokhri Bazar, Tehsil - Khalilabad, Dist. - Sant Kabir Nagar, UP - 272125. Mob - 09838294893
4	Blooming Buds J.J College, Plot No - 160, Village - Kothua, Post Office - Popya, Tehsil - Khalilab. Dist. - Sant Kabir Nagar, UP - 272175. Tel. - 0554227434, Mob - 09918171233
5	Sri Bajjnath Kiser Vidyalaya Vidyapeeth, Plot No. - 763 Min. Village - Mangalpur, Post Office - Kauli, Tehsil - Haidergrah, Dist. - Barabanki, UP - 227131. Tel. - 05244252224. Mob. - 69005428266
6	Sanjivni Mahavidyalaya, Plot No - 43M, Village - Kirtanpur, Post Office - Terawa Basantapur, Tehsil/Taluka - Kaiserganj, Dist. - Bahraich, Uttar Pradesh - 21801. Tel. - 05222308877, 05251227307, Mob. - 9838426999
7	Babu Harihar Singh Sinarak Mahavidyalaya, Plot No. - 13, Village - Etayal Bhawanipur, Post Office - Bhatpur, Tehsil - Budanpur, Dist. - Azamgarh, UP - 223223. Tel. - 9452617719
8	Radhika Krishna Murari Shikshan Prashikshan Sansthan, Plot No. 251, Khasara NO. 251, Village - Jamin Harkhori, Dhanchhula, Post office - Jamin Harkhori, Dhanchhula, Tehsil - Sagari, State - UP, District - Azamgarh (UP), Pin Code - 267140. Mob. - 9415013939
9	R K B N Academy Shikshan Avam Prashikshan Sansthan, Plot No. - 47, Village - Pitambarpurkala, Post Office - Loharamau, Tehsil - Sadar Sultanpur, Dist. - Sultanpur, UP - 228001. Tel. - 05362241686. Mob. - 09415457030
10	SMT Yasoda Devi Pandey Institute Of Shikshan and Prashikshan Sansthan, Plot No. - S/1228, Village - Itwa, Post Office - Itwa, Tehsil/Taluka - Itwa, Dist. - Siddharthnagar, Uttar Pradesh - 272192. Tel. - 05541231537, Mob. - 9792033211

Note: The Institution is also requested to read the above instructions carefully.

Regional Director



एस.टी.सी./STD 05278
V.C. 246223, 246330 (O)
V.C. 246224, 245209 (R)
फैक्स/Fax V.C.246330(O), 245209(R)
Registrar-245957(O),246042(R)
F.O.-246366(O)

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)
DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक: लो०अ०वि० / सम्ब० 2256 / 2007

दिनांक: 29.09.2007

सेवा में,


प्रबन्धक,
संजीवनी शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय,
कीर्तनपुर, बहराइच।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 3465/सत्तर-6-2007-2(302)/2007, दिनांक: 21.09.2007 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अधीन राज्यपाल, आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2007 से स्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय के प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1 संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक: 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस पाठ्यक्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2 संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 3 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 4 विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत है तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं है।

भवदीय,


(बी०आर० कनौजिया) 29/9
कुलसचिव

प्रतिलिनि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 परीक्षा नियंत्रक।
- 2 वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
- 3 सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
- 4 समन्वयक, बी०पी०एड० प्रवेश परीक्षा।
- 5 पत्रावली।

(बी०आर० कनौजिया)



एस.टी.डी./STD 05278
V.C. 246223, 246330 (O)
V.C. 246224, 245209 (R)
फैक्स/Fax V.C.246330(O), 245209(R)
Registrar-245957(O),246042(R)
F.O.-246386(O)

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०) DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक: लो०अ०वि० / सम्ब० / 2605 / 2008

दिनांक: 10.1.2008

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक,
संजीवनी शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय,
कीर्तनपुर, बहराइच

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 3466/सत्तर-6-2007-2(269)/2007, दिनांक: 03 जनवरी, 2008 के द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के संसुगत प्राविधानों के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2007 से स्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय के प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1 संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक: 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2 संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 3 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(कुलसचिव) (1/1)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 समन्वयक, बी०एड० प्रवेश परीक्षा।
- 2 परीक्षा नियंत्रक।
- 3 सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
- 4 व्यक्तिगत सहायक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
- 5 पत्रावली।

(कुलसचिव) (1/1)